10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

-=-

रिव्यू 510-PBR-15

प्रकरण क्रमांक .....

राजेशकुमार वर्मा आत्मज स्वर्गीय

श्री हरप्रसाद वर्मा आयु- लगभग 47 वर्ष

निवासी-ग्राम- झिरमटा तह० सोहागपुर

जिला- होशंगाबाद . ----- आवेदक

--- विरुद्ध ---

मध्य प्रदेश शासन ------- अनावेदक

श्री ओ पी दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-2-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत ।

12-2-15

13-2-15

पुनः विलोकन अन्तर्गत धारा-51 म०प्र० भू राजस्व संहिता -1959.

- -

महोदय,

आवेदक द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक आर/3191/पी.बी.आर./2014 में पारित आदेश दिनांक 24/12/2014 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह पुनः विलोकन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 510–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24–12–2014 का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में	

त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(मनीज गोयल)
अध्यक्ष